विधान सभा निर्वाचन 2015
अतिमहत्वपूर्ण

समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला निर्वाचन शाखा)

फोन नं० :– 06114 – 225618
फैक्स नं०:– 06114 – 225618
ई–मेल :–dm-jehanabad.bih@nic.i
:–Karmshil@gmail.com

आदेश

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2015 का कार्य, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा व निर्वाचक जागरूकता कार्य तथा मूलभूत बुनियादी सुविधाओं को चिन्हित करते हुए मतदान केन्द्र भवनों के सर्वेक्षण आदि कार्य किए जा रहे है। आगामी विधान सभा निर्वाचन हेतु इन कार्यो के महत्व को देखते हुए मतदान केन्द्रों को सेक्टर में विभक्त करते हुए मतदान केन्द्रों के समूह को संबद्ध कर इन कार्यो के अनुश्रवण हेतु परिशिष्ट ''क'' के अनुसार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मतदान केन्द्रों के भवन की स्थिति, जहां उपलब्ध मूलभूत बुनियादी सुविधाएं जैसे–पानी, छायादार स्थान, रैंप शौचालय, बिजली आदि सुविधाओं के आकलन के अतिरिक्त निर्वाचक सूची पुनरीक्षण कार्य में मतदान केन्द्र स्तर पर बी.एल.ओ. द्वारा की जा रही कार्रवाई, क्षेत्र में स्वीप गतिविधियों, मतदान केन्द्र स्तरीय जागरूकता, समूह के क्रियाकलाप, विशेष अभियान दिवसो को मतदान केन्द्रों पर व्यवस्था आदि का अनुश्रवण का कार्य भी करेंगे। संलग्न परिशिष्ट ''क'' में उल्लिखित मतदान केन्द्रों के गुच्छ के लिए जिलान्तर्गत् तीन विधान सभा क्षेत्र यथा 216–जहानाबाद वि0स0क्षेत्र, 217–घोषी वि0स0क्षेत्र एवं 218–मखदुमपुर (अ.जा.) वि0स0क्षेत्र के लिए सेक्टर पदाधिकारियें में कार्यपालक दण्डाधिकारियों की शक्ति प्रदत्त किए जाने हेतु गृह विशेष विभाग, बिहार को सूची उपलब्ध करायी जाती है। जहानाबाद जिलान्तर्गत् सभी तीन विधान सभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त सेक्टर पदाधिकारियों के कार्यों के अनुश्रवण के लिए विधान सभा क्षेत्रवार निम्नांकित वरीय पदाधिकारी नियुक्त किए जाते है।

क्रम संख्या	सेक्टर के वरीय पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	मोबाईल नम्बर	आवंटित विधान सभा क्षेत्र एवं सेक्टर
1.	श्री सच्चिदानन्द साह, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, घोषी	9430907483	216–जहानाबाद सेक्टर संख्या– 1/216 से 34/216
2.	श्री अरविन्द कुमार, कार्यपलाक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, उदेरा स्थान	9430030700	217–घोषी सेक्टर संख्या– 35/217 से 69/217
3.	हरिश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, लघु सिचाई प्रमंडल, जहानाबाद	9430493174	218–मखदुमपुर सेक्टर संख्या– 70/218 से 101/218

उपरोक्त सभी वरीय पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह में आवंटित विधान सभा क्षेत्र के सेक्टर पदाधिकारी द्वारा सेक्टर में स्थित मतदान केन्द्र के संबंधी किये जा रहे कार्यों की समीक्षा कर अद्योहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगें।

सभी सेक्टर पदाधिकारियों/सेक्टर के वरीय पदाधिकारियों/RO/ERO/AERO को दिनांक 06.06.2015 को 2:00 बजे अपराह्न में ग्राम प्लेक्स भवन, जहानाबाद में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

सेक्टर पदाधिकारियों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्य एवं इनके दायित्व चुनाव के पूर्व, चुनाव के दिन एवं चुनाव के सम्पन्न होने के उपरांत निम्नांकित होगें।

(क) चुनाव पूर्व दायित्व/कार्यः–Resposibilities before Poll

1. आवंटित मतदान केन्द्रो का रूट चार्ट विभिन्न मार्ग से अलग–अलग तैयार करना– सभी मतदान केन्द्रों पर पहुचने में लगने वाले समय का आकलन करना।
2. मतदान केन्द्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं यथा पानी, शेड, रैम्प, बिजली, शौचालय, दूरभाष मतदान भवन की स्थिति पर भौतिक सत्यापन कर जानकारी प्राप्त करनी होती है।
3. मतदान केन्द्रों के स्थान के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना

4. मतदान केन्द्र के ईर्द–गिर्द अवस्थित भवन के निवास करने वाले व्यक्तियों का नाम/मोबाइल नम्बर इक्कठा करना है।
5. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों यथा–NERPAP,SVEEP, विशेष पुनरीक्षण कार्य हेतु आयोजित किए जाने वाले विशेष कैम्प के संबंध में बी.एल.ओ. द्वारा किए जा रहे कार्यो का अनुश्रवण करना है।
6. मतदान केन्द्र के लिए बनाये गये बूथ अवेयरनेस ग्रुप (BAG) के क्रियाकलाप का अनुश्रवण करना है।
7. यह सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्र पर मोबाइल नम्बर के किन–किन कम्पनियों की सेवायें/नेटवर्क उपलब्ध है।
8. मतदान क्षेत्र को नजरी नक्शा तैयार करना/मतदान लेने के अन्तर्गत् निर्वाचन संबंधी पदाधिकारियों/कर्मचारियों का दुरभाष सं एकत्रित करना।
9. मतदाताओं को ई.वी.एम. को प्रदर्शित कर जानकारी दिया जाना।
10. मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम/मतदान केन्द्र के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने मतदान केन्द्र के बी.एल.ओ. को जानने की सूचना देना।
11. भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 464–EPS-दिनांक 27.1.2014 (प्रतिलिपि संलग्न) में दिये गये निदेश के अनुसार मतदान केन्द्र पर Basic Minimum Facilities (BMF) संबंधी साप्ताहिक अद्यतन प्रतिवेदन AnnexureII में दिया जाना।

(ख) भेद्यता मानचित्र (Vulnerable Mapping) तैयार करना

1. वैसे मतदान केन्द्रो/गावों, टोले की पहचान करना जहां मतदाताओं को मतदान करने से रोका जाता हो, उन्हें मतदान से वंचित कराया जाता हो।
2. मतदान केन्द्रवार ऐसे Vulnerable मतदाताओं की पहचान करना।
3. मतदाताओं को स्वच्छ रूप से मतदान करने हेतु उन्हें प्रेरित करना।
4. ऐसे मतदाताओं का दूरभाष प्राप्त करना
5. Vulnerable Mapping-भेद्यता मानचित्र संबंधी प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तैयार करना

(ग) चुनाव की पूर्व संध्या का दायित्व–A day before poll day

1. यह सुनिश्चित करना कि सभी मतदान दल मतदान केन्द्र पर पहुच चुके है।
2. मतदान के लिए पुलिस बल मतदान के केन्द्र पर पहुंच चुके है।
3. मतदान दलो को ई.वी.एम. के संबंध में यदि कोई दुविधा हो तो उसे दूर करना।
4. नियत्रंण कक्ष को मतदान केन्द्र के संबंध में OK रिपोर्ट देना।

(घ) मतदान के दिन की जवावदेही–Poll Day Responsibility

1. मॉक पॉल का संचालन/इसकी स्थिति की जानकारी कंट्रोल को मतदान प्रांरभ होने के पूर्व दिया जाना।
2. सभी आवंटित मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रांरभ होने के पूर्व जाकर पीठासीन पदाधिकारियों को जानकारी देना कि पोलिंग एजेन्ट की अनुपस्थिति में भी निर्धारित समय तक इंतजार कर मॉक पॉल पूरा कर लेना है।
3. मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पुलिस बल–कार्यरत है।
4. वैसे ई.वी.एम. जिसे Replace करना हो अविलम्ब उसे Replace करने की कार्रवाई सुनिश्चित करना।
5. जिन मतदान केन्द्रों पर पोलिंग एजेन्ट उपस्थित नहीं हैं उन्हें Track करना।
6. मतदान–दल को मतदान केन्द्र के अन्दर उन्हें मदद करना।
7. मतदान प्रक्रिया को निरंतर बनाये रखना।
8. मॉक पॉल का प्रमाण पत्र संबंधित P.O.से मॉक पॉल के उपरांत प्राप्त करना।

9. मॉक पॉल की स्थिति की जानकारी मतदान प्रारंभ होने के 30 मिनट के अन्तर्गत् कंट्रोल को संसूचित करना।
10. मतदान पैटर्न का अध्ययन करना। यदि किसी Segment / Section के मतदाता पूर्ण रूप से मतदान करने आ रहे है तो इसको Track करना।
11. मतदान प्रतिशत % की जानकारी Control Room को देना।
12. मतदान के दिन प्राप्त शिकायतों का निदान।
13. मतदान के लिए कतारबद्ध मतदाताओं का प्रबंधन।

<u>(च) मतदान की समाप्ति के उपरांत **After the close of poll**</u>

1. P.O. डायरी सही रूप से भरा जाना।
2. EVM सही ढंग से सील किया गया है।
3. 17 C बैलेट पेपर एकाउन्ट ठीक ढंग से भरा गया है एवं इसकी प्रति **Polling Agent** को दिया गया हो सुनिश्चित करना।
4. यह सुनिश्चित करना कि ठीकें ढंग से 17 ए रजिस्टर संधारित हो रजिस्ट के अंतिम क्रम में उपरांत P.O का हस्ताक्षर किया गया है।
5. मतदान के बाद मतदान् संबंधी कागजातो / ई.वी.एम. को P.O. द्वारा सील किए जाने का कार्य पूर्ण कराना।
6. Polled EVM को मतदान के बाद प्राप्ति केन्द्र पर ले जाने हेतु स्कॉट करना।
7. P.O द्वारा Additional Report तैयार कराकर उसे प्राप्ति केन्द्र पर देना।
8. मतदान के उपरांत R.O. को प्रतिवेदित करना।

अपेक्षा की जाती है कि नियुक्त सभी सेक्टर पदाधिकारी / सेक्टर के वरीय पदाधिकारी आयोग के दिशा निदेश के अनुसार अपने दायित्वो का निर्वहन ससमय करना सुनिश्चित करेगें। इस कार्य में किसी तरह की शिथिलता गंभीरता पूर्वक लिया जायेगा एवं संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

29/5/15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 433 /नि.,दिनांक 29.5.2015

प्रतिलिपिः– प्रतिनियुक्त सभी सेक्टर पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वरीय सेक्टर पदाधिकारी (विधान सभा क्षेत्र के लिए) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– ERO/RO 216–जहानाबाद, 217–घोषी, 218–मखदुमपुर(अ.जा.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी AERO/ARO/सभी प्रखंड अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारियों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित की जाय।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि जहानाबाद जिला के वेबसाईट पर सेक्टर पदाधिकारियों की सूची अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

29/5/15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 433 / नि.,दिनांक 29.5.2015

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि वे सेक्टर से संबंधित थाना के प्रभारी को सेक्टर पदाधिकारी के कार्यो में सहयोग हेतु निदेशित करेगे।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 28/5/15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।